कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/22411/2016–19/101 दिनांकः 11.09.2019

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान

विषय :– विद्यालयों में प्रवेश आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने बाबत।

प्रसंग :– उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक : प. 19 (3) शिक्षा–6/2017 दिनांक : 13.06.17 एवं विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक : 19.07.2016 एवं 22.06.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र के क्रम में विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक : 19.07.2016 एवं 22.06.2017 द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं ओर सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 57 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य सरकार, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक : एफ.17 (1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक : 24.05.2017 के क्रम में विद्यालयों में प्रवेश हेतु आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निम्नानुसार निर्देशित किया गया :–

1. आधार पंजीयन रसीद नहीं होने की दशा में भी विद्यार्थियों को प्रवेश तो दिया जाना है, परन्तु समस्त संस्था प्रधानों को पाबन्द किया जाता है कि प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का आधार पंजीयन एवं नामांकन प्रवेशोपरांत सुनिश्चित किया जावे।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रारंभिक कक्षाओं में प्रवेश हेतु कोई दस्तावेज की आवश्यकता (जन्म तिथि प्रमाण–पत्र के अलावा) नहीं है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके प्रासंगिक परिपत्र के क्रम में।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर